प्र.सं. 57/2017 2017/00082

महेन्द्रसिंह / कालूराम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
जानकारी ली गई। पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी में स्वत्व घोषणा का विवाद है। सायल के अथवा गैरसायलान के विवादित आराजी में क्या अधिकार है यह तो मूल दावे के निस्तारण में उभय पक्ष की साक्ष्य आने के उपरान्त ही तय किया जावेगा। लेकिन मूल दावे के निस्तारण से पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का बेचान कर दिया तथा किसी अन्य पक्षकार द्वारा वर्तमान मौके की स्थिति को परिवर्तित कर दिया तो पक्षकारों को मूल दावे में तय अधिकारों को प्राप्त करने में कानूनी तथा व्यवहारिक परेशानी होगी। ऐसे विवाद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न न हो उससे बचने के लिए उभयपक्ष को मूल दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझता हूँ। अतः आदेश है कि प्रा० पत्र 212 RT Act निस्तारण कर उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नं० 908, 913, 961, 962, 978, 981, 982, 987, 1010, एवं 1260 वाके ग्राम निथोराखुर्द तह० सेपऊ, पर मूल दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) निर्भीक शर्मा	

18-6-18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र निघोरा कलां में पेश हुई। शायल महेन्द्र सिंह एवं भैरमाल मेरुवती भभूति उपस्थित। अन्य कोई पक्षकार उपस्थित नहीं। उपस्थित पक्षकारों से वार्ता कर प्रकरण के तथ्यों की

महेशकुमार